चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3015
दिनांक : 29.09.2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय महाविद्यालय/संस्थानों में शासन/विश्वविद्यालय के मानको के अनुरूप शिक्षक नहीं है, तथा महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा शिक्षकों को शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन नही दिया जा रहा है एवं अधिकांश महाविद्यालय/संस्थानो में विश्वविद्यालय से बिना अनुमोदित शिक्षकों से पठन–पाठन का कार्य लिया जा रहा है, तथा साथ ही एक ही शिक्षक एक से अधिक महाविद्यालय/संस्थान में कार्य कर रहें है, जो कि शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमों के विरूद्ध है।

उक्त के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय/संस्थानों में विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों से पठन–पाठन का कार्य कराना सुनिश्चित करें, बिना विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों से पठन–पाठन का कार्य न कराया जाय साथ ही महाविद्यालय/संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को शासन /विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाय। यदि विश्वविद्यालय द्वारा गठित औचक जॉच समिति की जॉचोपरान्त किसी महाविद्यालय/संस्थान की बिना विश्वविद्यालय के अनुमोदित शिक्षकों से पठन–पाठन का कार्य कराये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तथा एक ही शिक्षक का एक से अधिक महाविद्यालय/संस्थान में अनुमोदन पाया जाता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/शिक्षक के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता समाप्ति/नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तर दायित्व सम्बन्धित का होगा।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

29/09/20

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
04. प्रभारी, वेबसाइट

कुलसचिव